

Note : Attach two challan yellow and blue with this form

1. Deposit Rs. 100/- in yellow challan.
2. Deposit Rs. 600/- in blue challan.

क्रम संख्या



राँची विश्वविद्यालय, राँची

उपाधि-प्रमाण-पत्र लेने के निमित्त आवेदन-पत्र

प्रेषित,

परीक्षा-संचालक

राँची विश्वविद्यालय, राँची

द्वारा:-

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

कॉलेज/विभाग

महोदय,

मैं अपनी उपाधि अभी तक नहीं ले सका। अतः प्रार्थना है कि मेरी उपाधि मुझे भेजने की कृपा करें। मैं अपनी परीक्षा के सारे विवरण नीचे दे रहा/रही हूँ।

विनीत

परीक्षार्थी का हस्ताक्षर

नाम : हिन्दी के साफ अक्षरों में

अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में

स्थायी पता

पिन:

वर्तमान पता

पिन:

दूरभाष : ई.मेल :

1. परीक्षा का नाम(वार्षिक/पूरक) वर्ष की परीक्षा, जो माह: में आयोजित हुई।

2. विषय

3. विशिष्टता : डिस्टिंकशन/प्रतिष्ठा/वर्ग/श्रेणी

4. केन्द्र रौल नामांक

5. कॉलेज/विभाग का नाम

6. पंजियन संख्या एवं वर्ष

7. शुल्क की राशि :

| | हिन्दी | अंग्रेजी |
|---|----------|----------|
| 2002 से पूर्व : स्नातक | 600 रु/- | 125 रु/- |
| : स्नातकोत्तर | 600 रु/- | 150 रु/- |
| 2002 से पश्चात् : स्नातक एवं स्नातकोत्तर सभी के लिए | 600 रु/- | |

8. राँची विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि चालान सं०

नोट: 1. मास्टर ऑफ लॉ एवं बैचलर ऑफ एजुकेशन परीक्षाओं के उम्मीदवार अपनी पूर्व उपाधि-प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रवेश-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।

2. उपाधि-प्रमाण-पत्र के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

3. परीक्षा-संचालक के पास अग्रसारित। ऊपर दिये गये विवरण ठीक है।

आवेदक ने मेरे सामने हस्ताक्षर किया।

क०पृ०उ०

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

मूल उपाधि-प्रमाण-पत्र प्राप्ति के नियम

1. मूल उपाधि-प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन-पत्र नियमित सम्बद्ध अधिकारी द्वारा अग्रसारित करा कर परीक्षा-संचालक के पास निर्धारित शुल्क के साथ आना चाहिए।
2. यदि आवेदन-पत्र प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत् अग्रसारित किया हुआ नहीं रहेगा तो उस आवेदन-पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।
3. द्रष्टव्य : ऊपर दिये नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने पर ही उपाधि-प्रमाण-पत्र कार्यालय से निबंधित डाक द्वारा भेजा जायेगा।

परीक्षा-संचालक

आवेदक द्वारा नियमानुकूल सारी कार्रवाई सम्पन्न की गई और
शुल्क जमा किया गया है जो यहाँ की रोकड़ बही में तिथि
की संख्या में दर्ज है, उपाधि-प्रमाण-पत्र दिया जाय।

सहायक

उपाधि-प्रमाण-पत्र दिया जाय।

प्रधान सहायक

परीक्षा-संचालक / स० कुलसचिव